

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था./2018 पार्ट3

जयपुर, दिनांक : 27.09.2018

—: आदेश :—

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में बीकानेर जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	शाला दर्शन आईडी	पद नाम मय लेवल	विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद स्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान				विशेष विवरण
								विद्यालय का नाम मय डाईस कोड	लेवल पद / विषय	ब्लॉक	जिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मनोज कुमार शर्मा	162114	तृश्रेअ ले2	अंग्रेजी	23.03.2015	राउप्रावि. सोनियासर गोदारान श्रीडूंगरगढ़	बीकानेर	राउप्रावि. कुनपालसर (08030507701)	तृश्रेअ ले 2 अंग्रेजी	श्रीडूंगरगढ़	बीकानेर	रिक्त पद
2	जयश्री बिश्नोई	24495	तृश्रेअ ले2	सामाजिक विज्ञान	11.09.2012	राउप्रावि. नरपड़ा जालौर	जालौर	राउप्रावि. 5 केएलडी खाजूवाला (08030603304)	तृश्रेले 2 सामाजिक विज्ञान	खाजूवाला	बीकानेर	रिक्त पद पर
3	कुलदीप कुमार	28381	तृश्रेअ ले2	संस्कृत	14.09.2012	राउप्रावि. बोरखेड़ी पिड़ावा सुनेल	झालावाड़	राउप्रावि. मलकीसर छोटा लूणकरणसर (08030203203)	तृश्रेले 2 संस्कृत	लूणकरणसर	बीकानेर	रिक्त पद पर
4	सुशीला देवी	222198	प्रबोधक ले 2	हिन्दी	01.10.2008	राउप्रावि. बेगाराम का कुआं टुकरियासर	बीकानेर	राउप्रावि. इन्दपालसर हीरावतान (08030511101)	तृश्रेअ ले 1	श्रीडूंगरगढ़	बीकानेर	रिक्त पद
5	हरिराम जाट	15433	तृश्रेअ ले2	संस्कृत	01.04.2005	राउप्रावि. इन्दपालसर हीरावतान	बीकानेर	राउप्रावि. बेगाराम का कुआं टुकरियासर (08030502103)	तृश्रेअ ले 1	श्रीडूंगरगढ़	बीकानेर	प्रशासनिक
6	प्रेमचन्द	48199	तृश्रेअ ले2	सामाजिक विज्ञान	26.03.2015	राउप्रावि. 5 केएलडी खाजूवाला	बीकानेर	राउप्रावि. बासी धोरा पंचायत चिताना पांचू (08030701402)	तृश्रेले 2 सामाजिक विज्ञान	पांचू	बीकानेर	प्रशासनिक
7	जगत सिंह	40733	तृश्रेअ ले2	सामाजिक विज्ञान	06.07.1995	राबाउप्रावि. 6 पीएचएम खाजूवाला	बीकानेर	राउप्रावि. खिंवालाई नाडी भादला पांचू (08030701007)	तृश्रेले 2 सामाजिक विज्ञान	पांचू	बीकानेर	प्रशासनिक

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।



